

## आदेश

प्रशिक्षण महानिदेशालय के पत्र क्रमांक MSDE(DGT)-19/03(01)/2022-CD Dated: 05.04.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा **Workshop Calculation and Science (W.C.S.)** और **Engineering Drawing (E.D.)** के सिलेबस को ट्रेड थ्योरी में शामिल करने के कारण उक्त दोनो विषयों में प्रशिक्षण देने में जो समय का उपयोग होता था, के **Unutilized** समय जोकि प्रतिदिन लगभग 3 घंटे है को निम्न प्रकार से उपयोग में लाये:-

1. संस्थानों में कार्यदिवस का समय सुबह 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे के स्थान पर सुबह 9:00 बजे से सांय 4:40 बजे तक किया जाता है। (इससे वार्षिक लगभग 2000 घंटे बनते है व 1350 घंटे के हिसाब से प्रशिक्षण देने पश्चात वर्ष के 650 घंटे बचते है।)
2. ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी व Employability Skill के लिए कुल  $840+240+120=1200$  घंटे बनते है जिसमें Workshop Calculation and Science (W.C.S.) और Engineering Drawing (E.D.) की कक्षाएं भी शामिल है। इसके अतिरिक्त OJT/Group Project के लिए 150 घंटे अनिवार्य बनते है।
3. Morning Assembly, Library Period, Lunch time, sports and IT Lab को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-
  - i) Morning Assembly = 30 Minutes
  - ii) Library Period = 30 Minutes
  - iii) Lunch time = 30 Minutes
  - iv) Sports = 30 minutes
  - v) IT Lab = 30 Minutes

हिसाब से उक्त कार्यों पर लगाने उपरांत साप्ताहिक 12 घंटे 30 मिनट व वार्षिक 650 घंटे बनते है।

दिनांक: 11.11.2022  
प्रभजोत सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण  
विभाग, हरियाणा, पंचकूला

पृ0क्रमांक: T-5/ DGT Circulation/2022/Trg.-I/ 19819 दिनांक: 15-11-22

उपर्युक्त की एक प्रति निम्न को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।

1. प्रधानाचार्य/ वर्ग अनुदेशक इंचार्ज, सभी रा0 औ0 प्र0 संस्थान/ रा0 औ0 प्र0 संस्थान (महिला) (हरियाणा राज्य में) को भेजते हुए निर्देश दिये जाते है कि आप अपने संस्थान में चल रहे व्यवसायों, अनुदेशकों व प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उक्त विभाजित समय अनुसार संस्थान की समय सारणी बनवाते हुए प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।
2. सभी अधिकारी मुख्यालय पर ( सिवाय निदेशक महोदय )।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-III) को उनके नियंत्रण में सभी प्राईवेट आई0टी0आई0 बारे उनके स्तर पर आगामी कार्यवाही करवाने हेतु।
4. नोडल ऑफिसर (विभागीय वेबसाइट) पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)  
कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण  
विभाग हरियाणा, पंचकूला

पृ0क्रमांक: T-5/ DGT Circulation/2022/Trg.-I/ 19820 दिनांक: 15-11-22

उपर्युक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

1. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. क्षेत्रीय निदेशक, आर0डी0एस0डी0ई0 हरियाणा।

अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)  
कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण  
विभाग हरियाणा, पंचकूला

CC:

1. PS to C&S(SDIT) को माननीय आयुक्त एवं सचिव महोदय की सूचना हेतु।
2. PS to DSDIT को माननीय निदेशक महोदय की सूचना हेतु।